

डिकरी व मुकदमे इत्तादाई

ओ020रूल 6-7 जाब्ता दिवानी

अदालत : उपखण्ड अधिकारी
इजलास : बद्रीलाल सुथार (आर0ए0एस0)

मुकाम - कुशलगढ़

1. श्री पुनीया पुत्र हलीया भील उम्र 50 वर्ष निवासी सारण हाल टिमेडा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा राज.
2. श्री पारू पुत्र हलीया भील उम्र 45 वर्ष निवासी सारण हाल टिमेडा तहसील कुशलगढ़।

-वादीगण

बनाम

1. श्री तोलीया पुत्र मुलीया भील उम्र 60 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
2. श्रीमती कडवी पत्नी तोलीया भील उम्र 55 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
3. श्री बादर पुत्र तोलीया भील उम्र 55 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
4. श्री पोनीया पुत्र तोलीया भील उम्र 32 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।
5. श्री देवचंद पुत्र तोलीया भील उम्र 28 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।
6. श्रीमती मरीया पत्नी देवचंद भील उम्र 22 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
7. श्री मानु पुत्र मुलीया भील उम्र 55 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।
8. श्री भुंडीया पुत्र मानु भील उम्र 35 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
9. श्रीमती मडी पत्नी भुंडीया भील उम्र 33 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।
10. श्री शंकर पुत्र मानु भील उम्र 30 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
11. श्री रामजी पुत्र मुलीया भील उम्र 45 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।
12. श्री राजु पुत्र वालु भील उम्र 30 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।
13. श्री ताजु पुत्र रामजी भील उम्र 32 वर्ष निवासी सारण तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 183,188, 209 रा0का0अ0 1955

प्रकरण सं0 18/2020


ऑनलाई प्र.सं. 2020/00022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है/डिकरी जारी की जाती है कि-

मौजा सारण पटवार क्षेत्र सारण तहसील कुशलगढ़ की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 756/657

रकबा 2.00 एकड़ भूमि के लिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें और न ही किसी अन्य से हस्तक्षेप करावें। तथा सिंचाई विभाग की भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण हस्तक्षेप नहीं करें और न ही किसी अन्य से हस्तक्षेप करावें। सिंचाई विभाग की भूमि पर से वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करें।

मिज.....मुलालिगबात.....खर्चा इस मुकदमे के मय सदबशरह.....फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक.....बासिब मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 26.11.2021 को जारी की गई।


(बद्रीलाल सुथार)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़

मुदई	रूपया पैसा	मुदायलाल	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजह सवृत		महनताना	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक मिजान मुतफखियख	
नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिफेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।			

